

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/SC-ST/2018-19

दिनांक : 24/09/2018

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)

विषय : विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति हेतु पिछले सत्र के अनुरूप वर्तमान सत्र 2018-19 के लिए शालादर्पण पोर्टल पर आवेदन प्राप्त करने के सम्बन्ध में निर्देश।

राजस्थान राज्य में स्थित समस्त राजकीय एवं निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में सत्र 2018-19 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से निम्नांकित 10 छात्रवृत्ति योजनाओं में विद्यार्थियों द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन पत्र जमा करवाने की तिथि दिनांक 01.09.2018 से दिनांक 15.09.2018 तक एवं संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन भरने की तिथि दिनांक 01.09.2018 से 30.09.2018 तक निर्धारित की गई है:-

क्र.सं.	छात्रवृत्ति योजना का नाम
(1)	पूर्व मेट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति कक्षा 06 से 08
(2)	पूर्व मेट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति कक्षा 06 से 08
(3)	पूर्व मेट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति कक्षा 09 से 10
(4)	पूर्व मेट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति कक्षा 09 से 10
(5)	पूर्व मेट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति कक्षा 06 से 10
(6)	पूर्व मेट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग (विशेष समूह- एस.बी.सी.) छात्रवृत्ति कक्षा 06 से 10
(7)	सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिम पूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
(8)	प्री-करगिल ऑपरेशन विजय अर्थात् 1.4.99 के पूर्व विभिन्न युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद सैनिकों / पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सदस्यों/युद्धों में स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृत्ति हेतु आवेदन
(9)	करगिल ऑपरेशन विजय अर्थात् 1.4.99 के पश्चात विभिन्न युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद सैनिकों/ पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सदस्यों/युद्धों में स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृत्ति
(10)	भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत छात्रा के रूप में प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति योजना

उपरोक्त समस्त छात्रवृत्ति योजनाओं के आवेदन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, विस्तृत दिशानिर्देश, पात्रता एवं शर्तें, छात्रवृत्ति की दरें तथा संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का विवरण शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.rajasthan.gov.in/secondary के Scholarship Tab एवं शालादर्पण के स्कॉलरशिप टैब पर दिनांक 01.09.2018 से ऑनलाईन उपलब्ध होगी। अतः आप अपने अधिनस्थ समस्त संस्थाप्रधानों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने के आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान कर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

www.rajteachers.com

शालादर्पण पोर्टल से प्राप्त हुए समस्त प्रस्तावों को सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम /द्वितीय) द्वारा 'एक्सल' शीट में सीधे ही भामाशाह रेजिडेंट डाटा हब पोर्टल पर अपलोड करते हुए छात्रवृत्ति का भुगतान विद्यार्थी को बैंक खाते के माध्यम से किए जाने की कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

संलग्न : 10 छात्रवृत्तियों हेतु दिशानिर्देश



(नथमल डिडेल)

I.A.S.


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

प्रतिलिपि :-

1. उपशासन सचिव शिक्षा, (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित करते हुए लेख है कि आवश्यक रूप से अपने विभाग के समस्त प्रस्ताव समेकित कर दिनांक 30.09.2018 तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
3. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित करते हुए लेख है कि आवश्यक रूप से अपने विभाग के समस्त प्रस्ताव समेकित कर दिनांक 30.09.2018 तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
4. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा
5. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को भेज कर लेख है कि उपरोक्त 10 छात्रवृत्तियों हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिए शालादर्पण पोर्टल पर स्कॉलरशिप टेब दिनांक 01.09.2018 से आरंभ करना सुनिश्चित करें।
6. शालादर्पण प्रकोष्ठ, उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर
7. उपनिदेशक (योजना), कार्यालय हाजा
8. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक) को अपने अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्थाप्रधानों को समय पर शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन भरवाने हेतु पाबन्द करते हुए प्रभावी मॉनेटरिंग करने हेतु।
9. वरिष्ठ सम्पादक शिविरा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
10. शाला दर्पण प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा को लेख है कि आपकी अ.टी.प. दिनांक 27.07.2018 में आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 31.08.2018 के पश्चात् आरंभ करने की तिथि अनुमोदनापरांत उपरोक्त आवेदन कार्यक्रम निर्धारित किया गया है अतः एन.आई.सी., राजस्थान सरकार, जयपुर से सम्पर्क कर उपरोक्त 10 छात्रवृत्तियों हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिए शालादर्पण पोर्टल पर स्कॉलरशिप टेब दिनांक 01.09.2018 से आरंभ कराना सुनिश्चित करें।
11. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।



प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/SC-ST/2018-19

दिनांक : 24-8-2018

विस्तृत दिशानिर्देश

कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (SC-ST) के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2018-19

1. पात्रता एवं शर्त :-

- छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का ही हो। (छात्र/छात्रा का जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
- छात्र/छात्रा राजकीय विद्यालय अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
- छात्र/छात्रा के माता-पिता या उनके संरक्षक (माता-पिता जीवित न होने पर)आयकर दाता न हो।
- छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
- छात्र/छात्रा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
- छात्र/छात्रा पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान लाभ दिये जावें।

2. छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार है :

क्र.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10माह हेतु)
1	छात्र	6 से 8	75/- प्र.माह (SC व ST दोनों के लिए)
2	छात्रा	6 से 8	125/- प्र.माह (SC व ST दोनों के लिए)

3. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है :-

- छात्र/छात्रा के माता-पिता के आयकर दाता न होने का प्रमाण-पत्र(माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक)
- गत परीक्षा की अंकतालिका की स्वप्रमाणित प्रति।
- विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण-पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो की स्वप्रमाणित प्रति।
- विद्यार्थी स्वयं की बैंक पासबुक, आधार कार्ड एवं भामाशाह कार्ड की छायाप्रति।

आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथियां निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
(अ)	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि।	01.09.2018	15.09.2018
(ब)	छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	01.09.2018	30.09.2018
(स)	निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि(समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)/निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा/निदेशालय संस्कृत शिक्षा)	01.10.2018	10.10.2018

पूरित आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। निजी विद्यालयों के आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय नोडल विद्यालय के द्वारा जांच पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। प्रारंभिक शिक्षा के अधीन आने वाले राजकीय/निजी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के आवेदन ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। इसी प्रकार संस्कृत शिक्षा के अधीन संचालित विद्यालयों के आवेदन पत्र संभाग कार्यालयों में सुरक्षित रखे जावेंगे।

(नथमल डिडेल)

www.rajteachers.com

IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (SC-ST) के छात्र/छात्राओं को
देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2018-19 हेतु

आवेदन-पत्र

(सत्र 2018-2019 की छात्रवृत्ति हेतु)

विद्यार्थी का
स्वप्रमाणित
फोटो

छात्रवृत्ति योजना का नाम जिसके

लिए आवेदन किया जा रहा है

विद्यार्थी के विद्यालय का नाम

विद्यार्थी का विवरण

- 1 विद्यार्थी का नाम :
- 2 जन्म तिथि (DD/MM/YYYY) :
- 3 धर्म (हिन्दु/मुस्लिम/सिख/ईसाई/पारसी/
बौद्ध/जैन/अन्य) :
- 4 लिंग(पुरुष/महिला/ट्रांसजेण्डर) :
- 5 कक्षा जिसमें अध्ययनरत है :
- 6 विद्यार्थी का S.R.नम्बर(विद्यालय द्वारा भरा जावे) :
- 6 गत कक्षा में अध्ययनरत रहे विद्यालय का नाम व पता :
- 7 गत वर्ष की कक्षा एवं प्राप्तांक(कक्षा 01 से 08 तक ग्रेड-ए
/बी/सी/डी/ई एवं कक्षा 09 से 12 तक प्रतिशत) : कक्षा कुल पूर्णांक कुल प्राप्तांक ग्रेड/प्रतिशत
- 8 जाति वर्ग(अजा/अजजा/अपिव/अपिव (विशेष समूह) /
सामान्य/अल्पसंख्यक) :
- 9 डे-स्कॉलर/हॉस्टलर :
- 10 बैंक खाता संख्या :
- 11 बैंक शाखा का नाम :
- 12 बैंक का आई.एफ.एस.कोड(IFSC) :
- 12 बैंक का एम.आई.सी.आर.कोड(MICR) :
- 13 बैंक खाता आधार सीडेड है(हां/नहीं) :
- 14 विद्यार्थी का आधार नम्बर :
- 15 आधार का एनरोलमेन्ट नम्बर(यदि विद्यार्थी ने आधार के
लिए आवेदन किया हो परन्तु उसे आधार नम्बर अभी तक
प्राप्त नहीं हुआ हो) :
- 16 भामाशाह नम्बर :
- 17 छात्र का बैंक खाता भामाशाह नम्बर से सीडेड है(हां/नहीं) :
- 18 विद्यार्थी का मोबाईल नम्बर :
- 19 विद्यार्थी का ई-मेल आई.डी. :

विद्यार्थी के परिवार का विवरण

- 20 पिता का नाम :
- 21 माता का नाम :
- 22 परिवार की वार्षिक आय :
- 23 स्थाई पता/जिले का नाम/राज्य का नाम :
- 24 राशन कार्ड नम्बर :
- 25 क्या विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था
या सरकारी विभाग से कोई सहायता प्राप्त कर रहा
है(हां/ नहीं) :
- 26 यदि हां तो विवरण दें :

नोट :- 1.विद्यार्थी संस्था प्रधान के निर्देशानुसार समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रति इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर स्वयं के
विद्यालय में अंतिम दिनांक से पूर्व प्रस्तुत करेगा।

2.विद्यार्थी का विद्यालय अभिलेख, शालादर्पण,आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं बैंक खाते में नाम समान होना अनिवार्य एवं
बैंक खाता आधार नम्बर,भामाशाह नम्बर से सीडेड होना अनिवार्य है।

3.वर्तमान कक्षा में अनुतीर्ण होने के फलस्वरूप दूसरी बार अध्ययन कर रहे छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति पाने के लिए अपात्र
होंगे।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान

हस्ताक्षर कक्षाध्यापक

हस्ताक्षर विद्यार्थी

माता-पिता/सरंक्षक और छात्र-छात्रा द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ की मैने योजना संबंधी सभी नियमों/निर्देशों की भली भांति अध्ययन कर लिया है। छात्र/छात्रा के मूल दस्तावेज में अंकित आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर, बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी.कोड सही है एवं छात्र/छात्रा किसी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा है। आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर से बैंक खाते से लिंक/सीडेड है। मेरे पुत्र/पुत्री का बैंक खाता आधार नम्बर एवं भामाशाह नम्बर से सिडेड/लिंक नहीं होने अथवा संलग्न दस्तावेजों में से कोई गलत पाया जाता है तो इसका समस्त दायित्व मेरा है जिसके अभाव में यदि छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है तो मैं स्वयं जिम्मेवार होऊंगा, साथ ही यदि किसी भी प्रकार का दोष पाया जाता है तो प्राप्त छात्रवृत्ति वापिस जमा करवाने का वचन देता हूँ/देती हूँ।

दिनांक :

माता/पिता/सरंक्षक के हस्ताक्षर

विद्यालय द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है की छात्र/छात्रा पुत्र/पुत्री..... के आवेदन की विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार जांच कर ली गई है तथा आवेदन पत्र में प्रस्तुत सभी तथ्यों से संबंधित दस्तावेज प्रमाणित है एवं उनमें अंकित तथ्य सही है। छात्र/छात्रा के मूल दस्तावेज में अंकित आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर, बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी.कोड आदि शालादर्पण रिकार्ड से मिलान/अपडेट कर लिया गया है, जो सही है। आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर से बैंक खाते से लिंक/सीडेड है। अतः छात्र/छात्रा को सत्र 2018-19 की छात्रवृत्ति स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :

प्रभारी,
विद्यालय छात्रवृत्ति

प्रभारी,
विद्यालय शालादर्पण

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
मय मोहर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/SC-ST/2018-19

दिनांक : 24-08-2018

विस्तृत दिशानिर्देश

केन्द्र प्रवर्तित योजना पूर्व मेट्रिक अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओ (कक्षा 9व10) हेतु छात्रवृत्ति वर्ष- 2018-19

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के कक्षा 9 व 10 के छात्र-छात्राओं को देय पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति के संबंध में राजस्थान सरकार के प-प.19(1)शिक्षा-6/2012 जयपुर दिनांक-7/1/13 एवं आयोजना विभाग के आई.डी संख्या-208 दिनांक-1/1/13 एवं वित्त विभाग की आई.डी संख्या 101300013 दिनांक 4/1/13 द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। छात्रवृत्ति हेतु छात्र-छात्राओं द्वारा अध्ययनरत विद्यालय के संस्था प्रधान को सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किये जाने हैं।

A. आवेदन:-

अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं (कक्षा 9व10) हेतु नवीन आवेदन पत्र का प्रारूप सलग्न किया जा रहा है। यह नवीन आवेदन पत्र ही मान्य होगा एवं उक्त आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट www.shiksha.rajshiksha.gov.in पर भी उपलब्ध है। आवेदन पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर पर्याप्त मात्र में फोटो कॉपी करवाकर उपयोग में लिया जा सकता है।

B. पात्रता/शर्त:-

1. छात्र-छात्राएं अनुसूचित जाति से संबंधित हो।
2. उनके माता-पिता की आय 2.50लाख वार्षिक से अधिक नहीं हो एवं माता/पिता के जीवित नहीं होने की दशा में ही संरक्षक की आय मान्य होगी एवं आय प्रमाण पत्र प्रवेश के समय एक बार ही लिया जावे तथा वार्षिक आय में मकान भत्ता शामिल नहीं किया जावे।
3. अन्य किसी केन्द्र प्रवर्तित योजना से छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हो।
4. छात्र-छात्रा राजकीय विद्यालय में नियमित/पूर्णकालिक अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय में अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत हो।
5. छात्र-छात्रा जिस कक्षा में अध्ययनरत है उस कक्षा के लिए वह छात्रवृत्ति पाने का एक बार ही पात्र होगा। दूसरे वर्ष उसी कक्षा में रहने पर पात्र नहीं होगा।
6. यह छात्रवृत्ति एक शिक्षण वर्ष में अधिकतम 10 माह के लिए ही देय होगी।
7. यदि छात्र/छात्रा अपने मूल राज्य से बाहर अन्य किसी राज्य में अध्ययन कर रहे हो तो वे अपने मूल राज्य के सक्षम अधिकारी को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करेंगे।
8. यह छात्रवृत्ति 1 अप्रैल या कक्षा में प्रवेश माह से देय होगी तथा सत्र समाप्ति या परीक्षा समाप्ति तक के लिए देय होगी। यदि किसी छात्र-छात्रा का प्रवेश किसी माह की 20 तारीख के बाद होता है तो उसे छात्रवृत्ति अगले माह से देय होगी।

छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार होगी:

कक्षा	विवरण	दरें	
		डेस्कॉलर	हॉस्टलर
9 व 10	छात्रवृत्ति/माह(अधिकतम 10 माह के लिए)	225 रुपये	525 रुपये
9 व 10	पुस्तकें व एडहॉक ग्राण्ट प्रति वर्ष (एक मुश्त)	750 रुपये	1000 रुपये

*उक्त दरें माह सितम्बर,2017 के पश्चात् प्रभावी हैं।

अराजकीय गैर अनुदानित विद्यालयों में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति के निःशक्त विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त भत्ते का प्रावधान निम्नलिखित प्रकार से है :-

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत माध्यमिक स्तर पर समावेष्टित निःशक्त बच्चों की शिक्षा योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई जिसके अंतर्गत तीन हजार रुपये (Rs.3000/-) की सहायता "Student Oriented Component" में पहले से उन विद्यार्थियों को दी जा रही है जो निशक्त छात्र-छात्रा माध्यमिक स्तर पर राजकीय स्थानीय संस्था या राजकीय अनुदानित विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। यद्यपि आई.ई.डी.एस.एस योजनान्तर्गत गैर अनुदानित विद्यालयों में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति के निःशक्त छात्र-छात्रा शामिल नहीं किए गए इसलिए वे निशक्त अनुसूचित जाति के विद्यार्थी जो कक्षा 9 व 10 में गैर राजकीय / गैर अनुदानित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययन कर रहे वो इस योजना में निम्नानुसार भत्ते प्राप्त करने में पात्र होंगे।

भत्ते की दरें निम्नानुसार होगी:

1	मंथली रीडर अलाऊंस फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स	Rs .160/-
2	मंथली ट्रांसपोर्ट अलाऊंस फॉर स्टूडेंट्स विथ डीसएबीलिटीस	Rs .160/-
3	मंथली एस्काईट अलाऊंस फॉर सेर्वेली डिसएबलड	Rs .160/-
4	मंथली हेल्पर अलाऊंस	Rs. 160/-
5	मंथली कोचिंग अलाऊंस टू मेंटली रिटारटेड एंड मेंटली इल स्टूडेंट्स	Rs. 240/-

(नोट-उपरोक्त भत्ते सक्षम मेडिकल अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर छात्रवृत्ति के रूप में देय होंगे) **आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथिया निम्नलिखित है:-**

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
(अ)	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि।	: 01.09.2018	15.09.2018
(ब)	छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	: 01.09.2018	30.09.2018
(स)	निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि(समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)/निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा/निदेशालय संस्कृत शिक्षा)	: 01.10.2018	10.10.2018

शाला दर्पण पोर्टल से डाउनलोड डाटा/पूर्तिशुदा आवेदन पत्रों को सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) एवं संस्कृत विभाग द्वारा अपने रिकार्ड में सुरक्षित रखा जाएगा।


(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

आवेदन-पत्र

(सत्र 2018-2019 की छात्रवृत्ति हेतु)

विद्यार्थी का
स्वप्रमाणित
फोटो

छात्रवृत्ति योजना का नाम जिसके
लिए आवेदन किया जा रहा है
विद्यार्थी के विद्यालय का नाम

विद्यार्थी का विवरण

- 1 विद्यार्थी का नाम :
- 2 जन्म तिथि (DD/MM/YYYY) :
- 3 धर्म (हिन्दु/मुस्लिम/सिख/ईसाई/पारसी/
बौद्ध/जैन/अन्य) :
- 4 लिंग(पुरुष/महिला/ट्रांसजेण्डर) :
- 5 कक्षा जिसमें अध्ययनरत है :
- 6 विद्यार्थी का S.R.नम्बर(विद्यालय द्वारा भरा जावे) :
- 6 गत कक्षा में अध्ययनरत रहे विद्यालय का नाम व पता :
- 7 गत वर्ष की कक्षा एवं प्राप्तांक(कक्षा 01 से 08 तक ग्रेड-ए
/बी/सी/डी/ई एवं कक्षा 09 से 12 तक प्रतिशत) कक्षा कुल पूर्णांक कुल प्राप्तांक ग्रेड/प्रतिशत :
- 8 जाति वर्ग(अजा/अजजा/अपिव/अपिव (विशेष समूह)/
सामान्य/अल्पसंख्यक) :
- 9 डे-स्कॉलर/हॉस्टलर :
- 10 बैंक खाता संख्या :
- 11 बैंक शाखा का नाम :
- 12 बैंक का आई.एफ.एस.कोड(IFSC) :
- 12 बैंक का एम.आई.सी.आर.कोड(MICR) :
- 13 बैंक खाता आधार सीडेड है(हां/नहीं) :
- 14 विद्यार्थी का आधार नम्बर :
- 15 आधार का एनरोलमेन्ट नम्बर(यदि विद्यार्थी ने आधार के
लिए आवेदन किया हो परन्तु उसे आधार नम्बर अभी तक
प्राप्त नहीं हुआ हो) :
- 16 भामाशाह नम्बर :
- 17 छात्र का बैंक खाता भामाशाह नम्बर से सीडेड है(हां/नहीं) :
- 18 विद्यार्थी का मोबाईल नम्बर :
- 19 विद्यार्थी का ई-मेल आई.डी. :

विद्यार्थी के परिवार का विवरण

- 20 पिता का नाम :
- 21 माता का नाम :
- 22 परिवार की वार्षिक आय :
- 23 स्थाई पता/जिले का नाम/राज्य का नाम :
- 24 राशन कार्ड नम्बर :

- 25 क्या विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था
या सरकारी विभाग से कोई सहायता प्राप्त कर रहा :
है(हां/ नहीं)
- 26 यदि हां तो विवरण दें :

नोट :- 1.विद्यार्थी संस्था प्रधान के निर्देशानुसार समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रति इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर स्वयं के विद्यालय में अंतिम दिनांक से पूर्व प्रस्तुत करेगा।
2.विद्यार्थी का विद्यालय अभिलेख, शालादर्पण,आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं बैंक खाते में नाम समान होना अनिवार्य एवं बैंक खाता आधार नम्बर,भामाशाह नम्बर से सीडेड होना अनिवार्य है।
3.वर्तमान कक्षा में अनुत्तीर्ण होने के फलस्वरूप दूसरी बार अध्ययन कर रहे छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति पाने के लिए अपात्र होंगे।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान

हस्ताक्षर कक्षाध्यापक

हस्ताक्षर विद्यार्थी

माता-पिता/सरंक्षक और छात्र-छात्रा द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ की मैंने योजना संबंधी सभी नियमों/निर्देशों की भली भांति अध्ययन कर लिया है। छात्र/छात्रा के मूल दस्तावेज में अंकित आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर, बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी.कोड सही है एवं छात्र/छात्रा किसी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा है। आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर से बैंक खाते से लिंक/सीडेड है। मेरे पुत्र/पुत्री का बैंक खाता आधार नम्बर एवं भामाशाह नम्बर से सिडेड/लिंक नहीं होने अथवा संलग्न दस्तावेजों में से कोई गलत पाया जाता है तो इसका समस्त दायित्व मेरा है जिसके अभाव में यदि छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है तो मैं स्वयं जिम्मेवार होऊंगा, साथ ही यदि किसी भी प्रकार का दोष पाया जाता है तो प्राप्त छात्रवृत्ति वापिस जमा करवाने का वचन देता हूँ/देती हूँ।

दिनांक :

माता/पिता/सरंक्षक के हस्ताक्षर

विद्यालय द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है की छात्र/छात्रा पुत्र/पुत्री..... के आवेदन की विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार जांच कर ली गई है तथा आवेदन पत्र में प्रस्तुत सभी तथ्यों से संबंधित दस्तावेज प्रमाणित है एवं उनमें अंकित तथ्य सही है। छात्र/छात्रा के मूल दस्तावेज में अंकित आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर, बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी.कोड आदि शालादर्पण रिकार्ड से मिलान/अपडेट कर लिया गया है, जो सही है। आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर से बैंक खाते से लिंक/सीडेड है। अतः छात्र/छात्रा को सत्र 2018-19 की छात्रवृत्ति स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :

प्रभारी,
विद्यालय छात्रवृत्ति

प्रभारी,
विद्यालय शालादर्पण

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
मय मोहर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/SC-ST/2018-19

दिनांक : 24-08-2018

विस्तृत दिशानिर्देश

केन्द्र प्रवर्तित योजना पूर्व मेट्रिक अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओ (कक्षा 9व10) हेतु छात्रवृत्ति वर्ष- 2018-19

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के कक्षा 9 व 10 के छात्र-छात्राओं को देय पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति के संबंध में राजस्थान सरकार के पत्रांक प.19(1)शिक्षा-6/2012 जयपुर दिनांक-7/1/13 एवं आयोजना विभाग के आई.डी संख्या-208दिनांक-1/1/13 एवं वित्त विभाग की आई.डी संख्या 101300013दिनांक 4/1/13 द्वारा राज्य के अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। छात्रवृत्ति हेतु छात्र-छात्राओं द्वारा अध्ययनरत विद्यालय के संस्था प्रधान को सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किये जाने हैं।

A.आवेदन:-

अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं (कक्षा 9व10) हेतु नवीन आवेदन पत्र का प्रारूप सलग्न किया जा रहा है। यह नवीन आवेदन पत्र ही मान्य होगा एवं उक्त आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट www.shiksha.rajshiksha.gov.in पर भी उपलब्ध है। आवेदन पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर पर्याप्त मात्र में फोटो कॉपी करवाकर उपयोग में लिया जा सकता है।

B.पात्रता/शर्तें:-

1. छात्र-छात्राएं अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो।
2. उनके माता-पिता की आय 2.00लाख वार्षिक से अधिक नहीं हो एवं माता/पिता के जीवित नहीं होने की दशा में ही संरक्षक की आय मान्य होगी एवं आय प्रमाण पत्र प्रवेश के समय एक बार ही लिया जावे तथा वार्षिक आय में मकान भत्ता शामिल नहीं किया जावे।
3. अन्य किसी केन्द्र प्रवर्तित योजना से छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हो।
4. छात्र-छात्रा राजकीय विद्यालय में नियमित/पूर्णकालिक अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय में अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत हो।
5. छात्र-छात्रा जिस कक्षा में अध्ययनरत है उस कक्षा के लिए वह छात्रवृत्ति पाने का एक बार ही पात्र होगा। दूसरे वर्ष उसी कक्षा में रहने पर पात्र नहीं होगा।
6. यह छात्रवृत्ति एक शिक्षण वर्ष में अधिकतम 10 माह के लिए ही देय होगी।
7. यदि छात्र/छात्रा अपने मूल राज्य से बाहर अन्य किसी राज्य में अध्ययन कर रहे हो तो वे अपने मूल राज्य के सक्षम अधिकारी को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करेंगे।
8. यह छात्रवृत्ति 1 अप्रैल या कक्षा में प्रवेश माह से देय होगी तथा सत्र समाप्ति या परीक्षा समाप्ति तक के लिए देय होगी। यदि किसी छात्र-छात्रा का प्रवेश किसी माह की 20 तारीख के बाद होता है तो उसे छात्रवृत्ति अगले माह से देय होगी।

छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार होगी:

कक्षा	विवरण	दरें	
		डेस्कॉलर	हॉस्टलर
9 व 10	छात्रवृत्ति(अधिकतम 10 माह के लिए)	150रुपये/माह	350रुपये/माह
9 व 10	एडहॉक ग्राण्ट प्रति वर्ष (एक मुश्त)	750रुपये	1000 रुपये

अराजकीय गैर अनुदानित विद्यालयों में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति के निशक्त विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त भत्ते का प्रावधान निम्नलिखित प्रकार से है :-

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत माध्यमिक स्तर पर समावेष्टित निःशक्त बच्चों की शिक्षा योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई जिसके अंतर्गत तीन हजार रुपये (Rs.3000/-)की सहायता "Student Oriented Component"में पहले से उन विद्यार्थियों को दी जा रही है जो निशक्त छात्र-छात्रा माध्यमिक स्तर पर राजकीय स्थानीय संस्था या राजकीय अनुदानित विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। यद्यपि आई.ई.डी.एस.एस योजनान्तर्गतगैर अनुदानित विद्यालयों में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति के निशक्त छात्र-छात्रा शामिल नहीं किए गए इसलिए वे निशक्त अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी जो कक्षा 9 व 10 में गैर राजकीय / गैर अनुदानित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययन कर रहे वो इस योजना में निम्नानुसार ये भत्ते प्राप्त करने में पात्र होंगे।

भत्ते की दरें निम्नानुसार होगी:

1.	मंथली रीडर अलाऊंस फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स	Rs .160/-
2.	मंथली ट्रांसपोर्ट अलाऊंस फॉर स्टूडेंट्स विथ डीसएबिलिटिस	Rs .160/-
3.	मंथली एस्कॉर्ट अलाऊंस फॉर सेर्वेली डिसएबल्ड	Rs .160/-
4.	मंथली हेल्पर अलाऊंस	Rs. 160/-
5.	मंथली कोचिंग अलाऊंस टू मेंटली रिटारटेड एंड मेंटली इल स्टूडेंट्स	Rs. 240/-

(नोट-उपरोक्त भत्ते सक्षम मेडिकल अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर छात्रवृत्ति के रूप में देय होंगे)

आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथिया निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
(अ)	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि।	01.09.2018	15.09.2018
(ब)	छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	01.09.2018	30.09.2018
(स)	निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि(समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)/निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा/निदेशालय संस्कृत शिक्षा)	01.10.2018	10.10.2018

शाला दर्पण पोर्टल से डाउनलोड डाटा/पूर्तिशुदा आवेदन पत्रों को सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) एवं संस्कृत विभाग द्वारा अपने रिकार्ड में सुरक्षित रखा जाएगा।



(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2018-19 हेतु

आवेदन-पत्र

(सत्र 2018-2019 की छात्रवृत्ति हेतु)

विद्यार्थी का
स्वप्रमाणित
फोटो

छात्रवृत्ति योजना का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है
विद्यार्थी के विद्यालय का नाम

.....
.....

विद्यार्थी का विवरण

- 1 विद्यार्थी का नाम :
- 2 जन्म तिथि (DD/MM/YYYY) :
- 3 धर्म (हिन्दु/मुस्लिम/सिख/ईसाई/पारसी/बौद्ध/जैन/अन्य) :
- 4 लिंग(पुरुष/महिला/ट्रांसजेण्डर) :
- 5 कक्षा जिसमें अध्ययनरत है :
- 6 विद्यार्थी का S.R.नम्बर(विद्यालय द्वारा भरा जावे) :
- 6 गत कक्षा में अध्ययनरत रहे विद्यालय का नाम व पता :
- 7 गत वर्ष की कक्षा एवं प्राप्तांक(कक्षा 01 से 08 तक ग्रेड-ए/बी/सी/डी/ई एवं कक्षा 09 से 12 तक प्रतिशत) कक्षा कुल पूर्णांक कुल प्राप्तांक ग्रेड/प्रतिशत :
- 8 जाति वर्ग(अजा/अजजा/अपिव/अपिव (विशेष समूह) / सामान्य/अल्पसंख्यक) :
- 9 डे-स्कॉलर/हॉस्टलर :
- 10 बैंक खाता संख्या :
- 11 बैंक शाखा का नाम :
- 12 बैंक का आई.एफ.एस.कोड(IFSC) :
- 12 बैंक का एम.आई.सी.आर.कोड(MICR) :
- 13 बैंक खाता आधार सीडेड है(हां/नहीं) :
- 14 विद्यार्थी का आधार नम्बर :
- 15 आधार का एनरोलमेन्ट नम्बर(यदि विद्यार्थी ने आधार के लिए आवेदन किया हो परन्तु उसे आधार नम्बर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हो) :
- 16 भामाशाह नम्बर :
- 17 छात्र का बैंक खाता भामाशाह नम्बर से सीडेड है(हां/नहीं) :
- 18 विद्यार्थी का मोबाईल नम्बर :
- 19 विद्यार्थी का ई-मेल आई.डी. :

विद्यार्थी के परिवार का विवरण

- 20 पिता का नाम :
- 21 माता का नाम :
- 22 परिवार की वार्षिक आय :
- 23 स्थाई पता/जिले का नाम/राज्य का नाम :
- 24 राशन कार्ड नम्बर :

25 क्या विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता प्राप्त कर रहा है(हां/ नहीं) :

26 यदि हां तो विवरण दें :

नोट :- 1.विद्यार्थी संस्था प्रधान के निर्देशानुसार समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रति इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर स्वयं के विद्यालय में अंतिम दिनांक से पूर्व प्रस्तुत करेगा।
2.विद्यार्थी का विद्यालय अभिलेख, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं बैंक खाते में नाम समान होना अनिवार्य एवं बैंक खाता आधार नम्बर,भामाशाह नम्बर से सीडेड होना अनिवार्य है।
3.वर्तमान कक्षा में अनुत्तीर्ण होने के फलस्वरूप दूसरी बार अध्ययन कर रहे छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति पाने के लिए अपात्र होंगे।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान

हस्ताक्षर कक्षाध्यापक

हस्ताक्षर विद्यार्थी

माता-पिता/सरंक्षक और छात्र-छात्रा द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ की मैंने योजना संबंधी सभी नियमों/निर्देशों की भली भांति अध्ययन कर लिया है। छात्र/छात्रा के मूल दस्तावेज में अंकित आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर, बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी.कोड सही है एवं छात्र/छात्रा किसी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा है। आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर से बैंक खाते से लिंक/सीडेड है। मेरे पुत्र/पुत्री का बैंक खाता आधार नम्बर एवं भामाशाह नम्बर से सिडेड/लिंक नहीं होने अथवा संलग्न दस्तावेजों में से कोई गलत पाया जाता है तो इसका समस्त दायित्व मेरा है जिसके अभाव में यदि छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है तो मैं स्वयं जिम्मेवार होऊंगा, साथ ही यदि किसी भी प्रकार का दोष पाया जाता है तो प्राप्त छात्रवृत्ति वापिस जमा करवाने का वचन देता हूँ/देती हूँ।

दिनांक :

माता/पिता/सरंक्षक के हस्ताक्षर

विद्यालय द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है की छात्र/छात्रा पुत्र/पुत्री..... के आवेदन की विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार जांच कर ली गई है तथा आवेदन पत्र में प्रस्तुत सभी तथ्यों से संबंधित दस्तावेज प्रमाणित है एवं उनमें अंकित तथ्य सही है। छात्र/छात्रा के मूल दस्तावेज में अंकित आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर, बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी.कोड आदि शालादर्पण रिकार्ड से मिलान/अपडेट कर लिया गया है, जो सही है। आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर से बैंक खाते से लिंक/सीडेड है। अतः छात्र/छात्रा को सत्र 2018-19 की छात्रवृत्ति स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :

प्रभारी,
विद्यालय छात्रवृत्ति

प्रभारी,
विद्यालय शालादर्पण

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
मय मोहर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/SC-ST/2018-19

दिनांक : 24-08-2018

विस्तृत दिशानिर्देश

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्र-छात्राओं (कक्षा 6 से 10) हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2018-19

1. पात्रता एवं शर्तें :-

- छात्र/छात्रा को राज्य सरकार द्वारा मान्य अन्य पिछड़ी जाति का होना अनिवार्य है।
- छात्र/छात्रा के माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये की सीमा से अधिक ना हो।
- छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक परीक्षा में न्यूनतम C ग्रेड प्राप्त करना एवं कक्षा 9 में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
- छात्र/छात्रा द्वारा अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की जा रही हो।
- बी.पी.एल. परिवार के छात्र/छात्रा को प्राथमिकता दी जायेगी।
- कुल छात्रवृत्तियों में से 30 प्रतिशत छात्राओं को प्राथमिकता से प्रदान की जाएगी।
- छात्र/छात्राओं में से निर्धनतम (The Poorest) को प्राथमिकता से चयन करते हुए क्रमशः ऊपर आना है अर्थात् पात्र आवेदन पत्रों में सबसे कम वार्षिक आय वाला आवेदन चयन में सबसे ऊपर होगा। इसी प्रकार क्रमशः आगे बढ़ना है।
- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान लाभ दिये जावें।

2. छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार हैं :

विवरण	दरें	
	डेस्कॉलर	हॉस्टलर
छात्रवृत्ति(अधिकतम 10 माह के लिए)	100रुपये/माह(कक्षा 06 से 10तक)	500 रुपये/माह(कक्षा 3 से 10तक)

3. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है :-

- छात्र/छात्रा के माता-पिता का आय प्रमाण-पत्र(माता-पिता के जीवित ना होने पर संरक्षक)
- गत परीक्षा की अंकतालिका की स्वप्रमाणित प्रति।
- विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण-पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो की स्वप्रमाणित प्रति।
- विद्यार्थी स्वयं की बैंक पासबुक, आधार कार्ड एवं भामाशाह कार्ड की छायाप्रति।

आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथियां निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
(अ)	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि।	01.09.2018	15.09.2018
(ब)	छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	01.09.2018	30.09.2018
(स)	निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि(समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)/निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा/निदेशालय संस्कृत शिक्षा)	01.10.2018	10.10.2018

पूरित आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। निजी विद्यालयों के आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय नोडल विद्यालय के द्वारा जांच पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। प्रारंभिक शिक्षा के अधीन आने वाले राजकीय/निजी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के आवेदन ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। इसी प्रकार संस्कृत शिक्षा के अधीन संचालित विद्यालयों के आवेदन पत्र संभाग कार्यालयों में सुरक्षित रखे जावेंगे।


(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2018-19 हेतु

विद्यार्थी का
स्वप्रमाणित
फोटो

आवेदन-पत्र
(सत्र 2018-2019 की छात्रवृत्ति हेतु)

छात्रवृत्ति योजना का नाम जिसके
लिए आवेदन किया जा रहा है
विद्यार्थी के विद्यालय का नाम

.....
.....

विद्यार्थी का विवरण

- 1 विद्यार्थी का नाम :
- 2 जन्म तिथि (DD/MM/YYYY) :
- 3 धर्म (हिन्दु/मुस्लिम/सिख/ईसाई/पारसी/
बौद्ध/जैन/अन्य) :
- 4 लिंग(पुरुष/महिला/ट्रांसजेण्डर) :
- 5 कक्षा जिसमें अध्ययनरत है :
- 6 विद्यार्थी का S.R.नम्बर(विद्यालय द्वारा भरा जावे) :
- 6 गत कक्षा में अध्ययनरत रहे विद्यालय का नाम व पता :
- 7 गत वर्ष की कक्षा एवं प्राप्तांक(कक्षा 01 से 08 तक ग्रेड-ए
/बी/सी/डी/ई एवं कक्षा 09 से 12 तक प्रतिशत) : कक्षा कुल पूर्णांक कुल प्राप्तांक ग्रेड/प्रतिशत
- 8 जाति वर्ग(अजा/अजजा/अपिव/अपिव (विशेष समूह) /
सामान्य/अल्पसंख्यक) :
- 9 डे-स्कॉलर/हॉस्टलर :
- 10 बैंक खाता संख्या :
- 11 बैंक शाखा का नाम :
- 12 बैंक का आई.एफ.एस.कोड(IFSC) :
- 12 बैंक का एम.आई.सी.आर.कोड(MICR) :
- 13 बैंक खाता आधार सीडेड है(हां/नहीं) :
- 14 विद्यार्थी का आधार नम्बर :
- 15 आधार का एनरोलमेन्ट नम्बर(यदि विद्यार्थी ने आधार के
लिए आवेदन किया हो परन्तु उसे आधार नम्बर अभी तक
प्राप्त नहीं हुआ हो) :
- 16 भामाशाह नम्बर :
- 17 छात्र का बैंक खाता भामाशाह नम्बर से सीडेड है(हां/नहीं) :
- 18 विद्यार्थी का मोबाईल नम्बर :
- 19 विद्यार्थी का ई-मेल आई.डी. :

विद्यार्थी के परिवार का विवरण

- 20 पिता का नाम :
- 21 माता का नाम :
- 22 परिवार की वार्षिक आय :

- 23 स्थाई पता/जिले का नाम/राज्य का नाम :
- 24 राशन कार्ड नम्बर :
- 25 क्या विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता प्राप्त कर रहा है(हां/ नहीं) :
- 26 यदि हां तो विवरण दें :

नोट :- 1.विद्यार्थी संस्था प्रधान के निर्देशानुसार समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रति इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर स्वयं के विद्यालय में अंतिम दिनांक से पूर्व प्रस्तुत करेगा।
 2.विद्यार्थी का विद्यालय अभिलेख, शालादर्पण, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं बैंक खाते में नाम समान होना अनिवार्य एवं बैंक खाता आधार नम्बर,भामाशाह नम्बर से सीडेड होना अनिवार्य है।
 3.वर्तमान कक्षा में अनुत्तीर्ण होने के फलस्वरूप दूसरी बार अध्ययन कर रहे छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति पाने के लिए अपात्र होंगे।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान

हस्ताक्षर कक्षाध्यापक

हस्ताक्षर विद्यार्थी

माता-पिता/सरंक्षक और छात्र-छात्रा द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ की मैंने योजना संबंधी सभी नियमों/निर्देशों की भली भांति अध्ययन कर लिया है। छात्र/छात्रा के मूल दस्तावेज में अंकित आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर, बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी.कोड सही है एवं छात्र/छात्रा किसी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा है। आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर से बैंक खाते से लिंक/सीडेड है। मेरे पुत्र/पुत्री का बैंक खाता आधार नम्बर एवं भामाशाह नम्बर से सिडेड/लिंक नहीं होने अथवा संलग्न दस्तावेजों में से कोई गलत पाया जाता है तो इसका समस्त दायित्व मेरा है जिसके अभाव में यदि छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है तो मैं स्वयं जिम्मेवार होऊंगा, साथ ही यदि किसी भी प्रकार का दोष पाया जाता है तो प्राप्त छात्रवृत्ति वापिस जमा करवाने का वचन देता हूँ/देती हूँ।

दिनांक :

माता/पिता/सरंक्षक के हस्ताक्षर

विद्यालय द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है की छात्र/छात्रा पुत्र/पुत्री..... के आवेदन की विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार जांच कर ली गई है तथा आवेदन पत्र में प्रस्तुत सभी तथ्यों से संबंधित दस्तावेज प्रमाणित है एवं उनमें अंकित तथ्य सही है। छात्र/छात्रा के मूल दस्तावेज में अंकित आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर, बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी.कोड आदि शालादर्पण रिकार्ड से मिलान/अपडेट कर लिया गया है, जो सही है। आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर से बैंक खाते से लिंक/सीडेड है। अतः छात्र/छात्रा को सत्र 2018-19 की छात्रवृत्ति स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :

प्रभारी,
विद्यालय छात्रवृत्ति

प्रभारी,
विद्यालय शालादर्पण

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
मय मोहर

विस्तृत दिशानिर्देश

सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा देय) (UNCLEAN)

छात्रवृत्ति वर्ष 2018-19

उपरोक्त विषयान्तर्गत योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार सूचित कर निर्देश दिये जाते हैं कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्रांक एफ.9(4)()छात्र/अस्व./सा.न्या.अ.वि/11-12 /32594-95 दिनांक 24.04.12 एवं भारत सरकार के पत्र क्रमांक 11017/05/ 2012-SCD-V दिनांक 04.04.12 के अनुसार कक्षा 1 से 10 में अध्ययनरत हो को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के वर्ष 2018-19 के प्रस्ताव हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। छात्रवृत्ति हेतु छात्र/छात्रा द्वारा अध्ययनरत विद्यालय के संस्था प्रधान को सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किये जाने हैं।

1. पात्रता एवं शर्त :-

1. छात्र/छात्रा कक्षा-1 से 10 में अध्ययनरत होना चाहिए।
2. छात्र-छात्रा के माता पिता/अभिभावक का सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे होने का प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
3. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
4. छात्र/छात्रा जो पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।

2. छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार हैं :-

DAYSCHOLARS		
कक्षा छात्र/छात्रा	छात्रवृत्ति दरें (10माह हेतु)	वार्षिक अनुदान
1 से 10	110	750
HOSTELLERS (छात्रावासी)		
कक्षा छात्र/छात्रा	छात्रवृत्ति दरें (10माह हेतु)	वार्षिक अनुदान
3 से 10	700	1000

3. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है :-

1. गत वर्ष की अंकतालिका।
2. सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे होने का प्रमाण-पत्र
3. अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं मिलने का प्रमाण-पत्र
4. विद्यार्थी स्वयं की बैंक पासबुक, आधार कार्ड एवं भामाशाह कार्ड की छायाप्रति।

आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथियां निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
(अ)	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि।	01.09.2018	15.09.2018
(ब)	छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	01.09.2018	30.09.2018
(स)	निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि(समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/ द्वितीय)/निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा/निदेशालय संस्कृत शिक्षा)	01.10.2018	10.10.2018

पूरित आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। निजी विद्यालयों के आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय नोडल विद्यालय के द्वारा जांच पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। प्रारंभिक शिक्षा के अधीन आने वाले राजकीय/निजी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के आवेदन ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। इसी प्रकार संस्कृत शिक्षा के अधीन संचालित विद्यालयों के आवेदन पत्र संभाग कार्यालयों में सुरक्षित रखे जावेंगे।


(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक (UNCLEAN) छात्रवृत्ति वर्ष 2018-19 हेतु

आवेदन-पत्र

(सत्र 2018-2019 की छात्रवृत्ति हेतु)

विद्यार्थी का
स्वप्रमाणित
फोटा

छात्रवृत्ति योजना का नाम जिसके
लिए आवेदन किया जा रहा है
विद्यार्थी के विद्यालय का नाम

विद्यार्थी का विवरण

- 1 विद्यार्थी का नाम :
- 2 जन्म तिथि (DD/MM/YYYY) :
- 3 धर्म (हिन्दु/मुस्लिम/सिख/ईसाई/पारसी/
बौद्ध/जैन/अन्य) :
- 4 लिंग(पुरुष/महिला/ट्रांसजेण्डर) :
- 5 कक्षा जिसमें अध्ययनरत है :
- 6 विद्यार्थी का S.R.नम्बर(विद्यालय द्वारा भरा जावे) :
- 6 गत कक्षा में अध्ययनरत रहे विद्यालय का नाम व पता :
- 7 गत वर्ष की कक्षा एवं प्राप्तांक(कक्षा 01 से 08 तक ग्रेड-ए
/बी/सी/डी/ई एवं कक्षा 09 से 12 तक प्रतिशत) : कक्षा कुल पूर्णांक कुल प्राप्तांक ग्रेड/प्रतिशत
- 8 जाति वर्ग(अजा/अजजा/अपिव/अपिव (विशेष समूह) /
सामान्य/अल्पसंख्यक) :
- 9 डे-स्कॉलर/हॉस्टलर :
- 10 बैंक खाता संख्या :
- 11 बैंक शाखा का नाम :
- 12 बैंक का आई.एफ.एस.कोड(IFSC) :
- 12 बैंक का एम.आई.सी.आर.कोड(MICR) :
- 13 बैंक खाता आधार सीडेड है(हां/नहीं) :
- 14 विद्यार्थी का आधार नम्बर :
- 15 आधार का एनरोलमेन्ट नम्बर(यदि विद्यार्थी ने आधार के
लिए आवेदन किया हो परन्तु उसे आधार नम्बर अभी तक
प्राप्त नहीं हुआ हो) :
- 16 भामाशाह नम्बर :
- 17 छात्र का बैंक खाता भामाशाह नम्बर से सीडेड है(हां/नहीं) :
- 18 विद्यार्थी का मोबाईल नम्बर :
- 19 विद्यार्थी का ई-मेल आई.डी. :

विद्यार्थी के परिवार का विवरण

- 20 पिता का नाम :
- 21 माता का नाम :
- 22 परिवार की वार्षिक आय :
- 23 स्थाई पता/जिले का नाम/राज्य का नाम :

- 24 राशन कार्ड नम्बर :
- 25 क्या विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था
या सरकारी विभाग से कोई सहायता प्राप्त कर रहा :
है(हां/ नहीं)
- 26 यदि हां तो विवरण दें :

नोट :- 1.विद्यार्थी संस्था प्रधान के निर्देशानुसार समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रति इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर स्वयं के विद्यालय में अंतिम दिनांक से पूर्व प्रस्तुत करेगा।
2.विद्यार्थी का विद्यालय अभिलेख, शालादर्पण, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं बैंक खाते में नाम समान होना अनिवार्य एवं बैंक खाता आधार नम्बर,भामाशाह नम्बर से सीडेड होना अनिवार्य है।
3.वर्तमान कक्षा में अनुत्तीर्ण होने के फलस्वरूप दूसरी बार अध्ययन कर रहे छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति पाने के लिए अपात्र होंगे।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान

हस्ताक्षर कक्षाध्यापक

हस्ताक्षर विद्यार्थी

माता-पिता/सरंक्षक और छात्र-छात्रा द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ की मैंने योजना संबंधी सभी नियमों/निर्देशों की भली भांति अध्ययन कर लिया है। छात्र/छात्रा के मूल दस्तावेज में अंकित आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर, बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी.कोड सही है एवं छात्र/छात्रा किसी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा है। आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर से बैंक खाते से लिंक/सीडेड है। मेरे पुत्र/पुत्री का बैंक खाता आधार नम्बर एवं भामाशाह नम्बर से सिडेड/लिंक नहीं होने अथवा संलग्न दस्तावेजों में से कोई गलत पाया जाता है तो इसका समस्त दायित्व मेरा है जिसके अभाव में यदि छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है तो मैं स्वयं जिम्मेवार होऊंगा, साथ ही यदि किसी भी प्रकार का दोष पाया जाता है तो प्राप्त छात्रवृत्ति वापिस जमा करवाने का वचन देता हूँ/देती हूँ।

दिनांक :

माता/पिता/सरंक्षक के हस्ताक्षर

विद्यालय द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है की छात्र/छात्रा पुत्र/पुत्री..... के आवेदन की विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार जांच कर ली गई है तथा आवेदन पत्र में प्रस्तुत सभी तथ्यों से संबंधित दस्तावेज प्रमाणित है एवं उनमें अंकित तथ्य सही है। छात्र/छात्रा के मूल दस्तावेज में अंकित आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर, बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी.कोड आदि शालादर्पण रिकार्ड से मिलान/अपडेट कर लिया गया है, जो सही है। आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर से बैंक खाते से लिंक/सीडेड है। अतः छात्र/छात्रा को सत्र 2018-19 की छात्रवृत्ति स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :

प्रभारी,
विद्यालय छात्रवृत्ति

प्रभारी,
विद्यालय शालादर्पण

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
मय मोहर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/SC-ST/2018-19

दिनांक : 24-09-2018

विस्तृत दिशानिर्देश

अति पिछड़ा वर्ग (विशेष समूह-एम.बी.सी.) को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
वर्ष 2018-19

1. पात्रता एवं शर्त :-

1. विद्यार्थी को अति पिछड़ा वर्ग (विशेष समूह-एम.बी.सी.) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मान्य विशेष समूह की जाति का होना अनिवार्य है (विशेष समूह-एस.बी.सी में 1.बंजारा, बालदिया,लबाना 2.गाडिया-लोहार,गाडोलिया 3.गूजर, गुर्जर 4.राईका, रैबारी(देबासी) 5.गडरिया(गाडरी),गायरी जातियां शामिल है)
2. छात्र/छात्रा राजकीय अथवा निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय की कक्षा 6 से 10 तक में नियमित अध्ययनरत हो।
3. छात्र/छात्रा के माता-पिता की वार्षिक आय अधिकतम 2.00 रुपये हो (उनके जीवित न होने पर संरक्षक)
4. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. छात्र/छात्रा जो पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
6. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान लाभ दिये जावें।

2. छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार हैं :-

क्र.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10माह हेतु)
1	छात्र	6 से 8	50/- प्र.माह
2	छात्रा	6 से 8	100/- प्र.माह
3	छात्र	9 से 10	60/- प्र.माह
4	छात्रा	9 से 10	120/- प्र.माह

3. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है :-

1. छात्र/छात्रा के माता-पिता का आय प्रमाण-पत्र(माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक)
2. गत परीक्षा की अंकतालिका की स्वप्रमाणित प्रति।
3. विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण-पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो की स्वप्रमाणित प्रति।
4. विद्यार्थी स्वयं की बैंक पासबुक, आधार कार्ड एवं भामाशाह कार्ड की छायाप्रति।
5. आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथियां निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
(अ)	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि।	01.09.2018	15.09.2018
(ब)	छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	01.09.2018	30.09.2018
(स)	निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि(समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)/निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा/निदेशालय संस्कृत शिक्षा)	01.10.2018	10.10.2018

पूरित आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। निजी विद्यालयों के आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय नोडल विद्यालय के द्वारा जांच पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। प्रारंभिक शिक्षा के अधीन आने वाले राजकीय/निजी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के आवेदन ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। इसी प्रकार संस्कृत शिक्षा के अधीन संचालित विद्यालयों के आवेदन पत्र संभाग कार्यालयों में सुरक्षित रखे जावेंगे।

(W) (नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत अति पिछड़ा वर्ग (विशेष समूह-एम.बी.सी.) को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2018-19 हेतु

आवेदन-पत्र

(सत्र 2018-2019 की छात्रवृत्ति हेतु)

विद्यार्थी का
स्वप्रमाणित
फोटो

छात्रवृत्ति योजना का नाम जिसके
लिए आवेदन किया जा रहा है
विद्यार्थी के विद्यालय का नाम

विद्यार्थी का विवरण

- 1 विद्यार्थी का नाम :
- 2 जन्म तिथि (DD/MM/YYYY) :
- 3 धर्म (हिन्दु/मुस्लिम/सिख/ईसाई/पारसी/
बौद्ध/जैन/अन्य) :
- 4 लिंग(पुरुष/महिला/ट्रांसजेण्डर) :
- 5 कक्षा जिसमें अध्ययनरत है :
- 6 विद्यार्थी का S.R.नम्बर(विद्यालय द्वारा भरा जावे) :
- 6 गत कक्षा में अध्ययनरत रहे विद्यालय का नाम व पता :
- 7 गत वर्ष की कक्षा एवं प्राप्तांक(कक्षा 01 से 08 तक ग्रेड-ए
/बी/सी/डी/ई एवं कक्षा 09 से 12 तक प्रतिशत) कक्षा कुल पूर्णांक कुल प्राप्तांक ग्रेड/प्रतिशत :
- 8 जाति वर्ग(अजा/अजजा/अपिव/अपिव (विशेष समूह) /
सामान्य/अल्पसंख्यक) :
- 9 डे-स्कॉलर/हॉस्टलर :
- 10 बैंक खाता संख्या :
- 11 बैंक शाखा का नाम :
- 12 बैंक का आई.एफ.एस.कोड(IFSC) :
- 12 बैंक का एम.आई.सी.आर.कोड(MICR) :
- 13 बैंक खाता आधार सीडेड है(हां/नहीं) :
- 14 विद्यार्थी का आधार नम्बर :
- 15 आधार का एनरोलमेन्ट नम्बर(यदि विद्यार्थी ने आधार के
लिए आवेदन किया हो परन्तु उसे आधार नम्बर अभी तक
प्राप्त नहीं हुआ हो) :
- 16 भामाशाह नम्बर :
- 17 छात्र का बैंक खाता भामाशाह नम्बर से सीडेड है(हां/नहीं) :
- 18 विद्यार्थी का मोबाईल नम्बर :
- 19 विद्यार्थी का ई-मेल आई.डी. :

विद्यार्थी के परिवार का विवरण

- 20 पिता का नाम :
- 21 माता का नाम :
- 22 परिवार की वार्षिक आय :

- 23 स्थाई पता/जिले का नाम/राज्य का नाम :
- 24 राशन कार्ड नम्बर :
- 25 क्या विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता प्राप्त कर रहा है(हां/ नहीं) :
- 26 यदि हां तो विवरण दें :

नोट :- 1.विद्यार्थी संस्था प्रधान के निर्देशानुसार समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रति इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर स्वयं के विद्यालय में अंतिम दिनांक से पूर्व प्रस्तुत करेगा।
 2.विद्यार्थी का विद्यालय अभिलेख, शालादर्पण,आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं बैंक खाते में नाम समान होना अनिवार्य एवं बैंक खाता आधार नम्बर,भामाशाह नम्बर से सीडेड होना अनिवार्य है।
 3.वर्तमान कक्षा में अनुत्तीर्ण होने के फलस्वरूप दूसरी बार अध्ययन कर रहे छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति पाने के लिए अपात्र होंगे।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान

हस्ताक्षर कक्षाध्यापक

हस्ताक्षर विद्यार्थी

माता-पिता/सरंक्षक और छात्र-छात्रा द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ की मैंने योजना संबंधी सभी नियमों/निर्देशों की भली भांति अध्ययन कर लिया है। छात्र/छात्रा के मूल दस्तावेज में अंकित आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर, बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी.कोड सही है एवं छात्र/छात्रा किसी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा है। आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर से बैंक खाते से लिंक/सीडेड है। मेरे पुत्र/पुत्री का बैंक खाता आधार नम्बर एवं भामाशाह नम्बर से सिडेड/लिंक नहीं होने अथवा संलग्न दस्तावेजों में से कोई गलत पाया जाता है तो इसका समस्त दायित्व मेरा है जिसके अभाव में यदि छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है तो मैं स्वयं जिम्मेवार होऊंगा, साथ ही यदि किसी भी प्रकार का दोष पाया जाता है तो प्राप्त छात्रवृत्ति वापिस जमा करवाने का वचन देता हूँ/देती हूँ।

दिनांक :

माता/पिता/सरंक्षक के हस्ताक्षर

विद्यालय द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है की छात्र/छात्रा पुत्र/पुत्री..... के आवेदन की विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार जांच कर ली गई है तथा आवेदन पत्र में प्रस्तुत सभी तथ्यों से संबंधित दस्तावेज प्रमाणित है एवं उनमें अंकित तथ्य सही है। छात्र/छात्रा के मूल दस्तावेज में अंकित आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर, बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी.कोड आदि शालादर्पण रिकार्ड से मिलान/अपडेट कर लिया गया है, जो सही है। आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर से बैंक खाते से लिंक/सीडेड है। अतः छात्र/छात्रा को सत्र 2018-19 की छात्रवृत्ति स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :

प्रभारी,
विद्यालय छात्रवृत्ति

प्रभारी,
विद्यालय शालादर्पण

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
मय मोहर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/SC-ST/2018-19

दिनांक : 24-08-2018

विस्तृत दिशानिर्देश

विषय :- प्री-करगिल ऑपरेशन विजय अर्थात् 1.4.99 के पूर्व विभिन्न युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद सैनिकों / पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सदस्यों / युद्धों में स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्रों का आमंत्रण सत्र 2018-19 हेतु

विषयान्तर्गत उल्लेखित श्रेणी के राजस्थान के मूल निवासी आश्रितों को देय छात्रवृत्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। शहीद/स्थायी विकलांग सैनिकों के आश्रित छात्र/छात्राओं/महिलाओं को कक्षा 1 से 12 तक नियमित अध्ययनरत रहने की स्थिति में प्रतिवर्ष 1800/- रुपये प्रति छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति राशि स्वीकृत की जायेगी। उपरोक्त श्रेणी के आवेदक छात्र/छात्रा को नियमित रूप से सरकारी / गैरसरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। वर्ष 2018-19 हेतु इस योजना का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है -

क्र.सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
1.	शहीद /स्थायी विकलांग सैनिक के आश्रितों द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	01.09.2018	15.09.2018
2.	छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	01.09.2018	30.09.2018
3.	निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि(समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)/निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा/निदेशालय संस्कृत शिक्षा)	01.10.2018	10.10.2018

शहीद /स्थायी विकलांग सैनिक के आश्रित छात्र/छात्रा अपने जिले के संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से आवेदन पत्र पर प्रति हस्ताक्षर करवाकर अपने संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र का प्रपत्र-4 संलग्न है। आवेदन पत्र के निर्धारित कॉलमों की पूर्ति भलि-भांति करें। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

उक्त श्रेणी के छात्र/छात्रा को राज्य सरकार से अन्य छात्रवृत्ति का लाभ देय नहीं होगा अथवा अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को यह छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को समस्त प्राप्त आवेदन पत्रों की समेकित सूचना निर्धारित प्रपत्र में मय प्रमाण पत्र प्रेषित किये जावेंगे। आवेदन पत्र एवं अन्य पत्रादि निदेशालय को नहीं भिजवाये जाने हैं उन्हें अपने कार्यालय अभिलेख में संधारित रजिस्टर में इन्द्राज कर रिकार्ड में रखा जायेगा।

निर्धारित प्रपत्र (सत्र 2018-19)

क्र. सं.	छात्र-छात्रा एवं शहीद /स्थायी विकलांग सैनिक का नाम एवं पूरा पता	शहीद /सैनिक के स्थायी विकलांग होने की दिनांक	कक्षा	विद्यालय का नाम	प्रस्तावित राशि
1					
2					


प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्रम संख्या.....से..... तक कुल (.....) के प्रकरणों की जांच व्यक्तिगत रूप से कर ली गयी है तथा सही पायी गयी है । समस्त आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है एवं समस्त आवेदन पत्रों को कार्यालय में संधारित रजिस्टर में इन्द्राज कर आवेदन पत्र रिकार्ड में रख लिया गया है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा अन्य कोई भी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा है। प्रति छात्र-छात्रा 1800/- रुपये छात्रवृत्ति स्वीकृत करने की अभिशंसा की जाती है।

दिनांक :

जिला शिक्षा अधिकारी
का पद नाम मय मोहर

नोट :- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को कार्यालय रिकार्ड में सुरक्षित रखा जावेगा तथा रजिस्टर में संधारित किया जावेगा। निदेशालय को सिर्फ निर्धारित प्रपत्र में मय प्रमाण पत्र भिजवाया जायेगा। आवेदन पत्र नहीं भिजवाये जायेंगे।



(नथमल डिडेल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/SC-ST/2018-19

दिनांक : 24-08-2018

प्रतिलिपि :- आवश्यक कार्यवाही एवं प्रचार-प्रसार हेतु -

1. उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1/ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
3. निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से भिजवायें।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. मुख्य लेखाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. उपनिदेशक (योजना), माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
8. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक) शिक्षा विभाग।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)/प्रारम्भिक शिक्षा।
10. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि संलग्न विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करे।


24.08.18
प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्री-करगिल ऑपरेशन विजय अर्थात् 1.4.99 के पूर्व विभिन्न युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद सैनिकों / पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सदस्यों / युद्धों में स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृत्ति वर्ष 2018-19 हेतु

आवेदन-पत्र

(सत्र 2018-2019 की छात्रवृत्ति हेतु)

विद्यार्थी का
स्वप्रमाणित
फोटो

छात्रवृत्ति योजना का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है
विद्यार्थी के विद्यालय का नाम

विद्यार्थी का विवरण

- 1 विद्यार्थी का नाम :
- 2 जन्म तिथि (DD/MM/YYYY) :
- 3 धर्म (हिन्दु/मुस्लिम/सिख/ईसाई/पारसी/बौद्ध/जैन/अन्य) :
- 4 लिंग(पुरुष/महिला/ट्रांसजेण्डर) :
- 5 कक्षा जिसमें अध्ययनरत है :
- 6 विद्यार्थी का S.R.नम्बर(विद्यालय द्वारा भरा जावे) :
- 6 गत कक्षा में अध्ययनरत रहे विद्यालय का नाम व पता :
- 7 गत वर्ष की कक्षा एवं प्राप्तांक(कक्षा 01 से 08 तक ग्रेड-ए/बी/सी/डी/ई एवं कक्षा 09 से 12 तक प्रतिशत) कक्षा कुल पूर्णांक कुल प्राप्तांक ग्रेड/प्रतिशत
- 8 जाति वर्ग(अजा/अजजा/अपिव/अपिव (विशेष समूह) / सामान्य/अल्पसंख्यक) :
- 9 डे-स्कॉलर/हॉस्टलर :
- 10 बैंक खाता संख्या :
- 11 बैंक शाखा का नाम :
- 12 बैंक का आई.एफ.एस.कोड(IFSC) :
- 12 बैंक का एम.आई.सी.आर.कोड(MICR) :
- 13 बैंक खाता आधार सीडेड है(हां/नहीं) :
- 14 विद्यार्थी का आधार नम्बर :
- 15 आधार का एनरोलमेन्ट नम्बर(यदि विद्यार्थी ने आधार के लिए आवेदन किया हो परन्तु उसे आधार नम्बर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हो) :
- 16 भामाशाह नम्बर :
- 17 छात्र का बैंक खाता भामाशाह नम्बर से सीडेड है(हां/नहीं) :
- 18 विद्यार्थी का मोबाईल नम्बर :
- 19 विद्यार्थी का ई-मेल आई.डी. :

विद्यार्थी के परिवार का विवरण

- 20 पिता का नाम :
- 21 माता का नाम :
- 22 परिवार की वार्षिक आय :
- 23 स्थाई पता/जिले का नाम/राज्य का नाम :

- 24 राशन कार्ड नम्बर :
- 25 क्या विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता प्राप्त कर रहा है(हां/ नहीं) :
- 26 यदि हां तो विवरण दें :

नोट :- 1.विद्यार्थी संस्था प्रधान के निर्देशानुसार समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रति इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर स्वयं के विद्यालय में अंतिम दिनांक से पूर्व प्रस्तुत करेगा।
 2.विद्यार्थी का विद्यालय अभिलेख, शालादर्पण, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं बैंक खाते में नाम समान होना अनिवार्य एवं बैंक खाता आधार नम्बर,भामाशाह नम्बर से सीडेड होना अनिवार्य है।
 3.वर्तमान कक्षा में अनुत्तीर्ण होने के फलस्वरूप दूसरी बार अध्ययन कर रहे छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति पाने के लिए अपात्र होंगे।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान

हस्ताक्षर कक्षाध्यापक

हस्ताक्षर विद्यार्थी

प्रपत्र-4 "क"

(प्री-करगिल (1.4.99 से पूर्व) युद्धों तथा अन्य विभिन्न इन्सरेन्सीज काउंटर्स में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों हेतु छात्रवृत्ति आवेदन पत्र)

1. शहीद /स्थायी विकलांग सैनिक का नाम
2. शहीद /स्थायी विकलांग होने की तारीख
3. रैंक/यूनिट नम्बर
4. शहीद /स्थायी विकलांग होने का प्रमाण पत्र संलग्न करे।
5. उत्तराधिकारी (फौज के अभिलेख अनुसार) प्रतिलिपि संलग्न करें। उत्तराधिकारी के निवास स्थान का पूर्ण पता भी लिखा जावे।
6. शिक्षार्थी का नाम व शहीद के साथ संबंध (आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे)
7. कक्षा जिसमें अध्ययनरत है
8. विद्यालय का नाम व पूर्ण पता

प्रति हस्ताक्षर
(जिला सैनिक कल्याण अधिकारी)

हस्ताक्षर विद्यार्थी

हस्ताक्षर अभिभावक

मूल प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक)..... को प्रस्तुत कर निवेदन है कि छात्र/छात्रा इस विद्यालय /संस्था की कक्षा में शैक्षणिक वर्ष (.....) अन्तर्गत अध्ययनरत है।

दिनांक :

हस्ताक्षर संस्था प्रधान मय सील

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी.....

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र जांच उपरान्त सही पाया गया है तथा इसका इन्द्राज संबंधित रजिस्टर में कर आवेदन पत्र रिकार्ड पर रख लिया गया है। संबंधित छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति हेतु नियमानुसार पात्र है।

दिनांक :

हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक/प्रारम्भिक) मय सील

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/SC-ST/2018-19

दिनांक : 24-08-2018

विस्तृत दिशानिर्देश

विषय :- करगिल ऑपरेशन विजय अर्थात् 1.4.99 के पश्चात विभिन्न युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद सैनिकों / पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सदस्यों / युद्धों में स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृत्ति वर्ष 2018-19 हेतु आवेदन पत्रों का आमंत्रण

विषयान्तर्गत उल्लेखित श्रेणी के राजस्थान के मूल निवासी आश्रितों को देय छात्रवृत्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। शहीद/स्थायी विकलांग सैनिकों के आश्रित छात्र/छात्राओं /महिलाओं को कक्षा 1 से 12 तक नियमित अध्ययनरत रहने की स्थिति में प्रतिवर्ष 1800/- रुपये प्रति छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति राशि स्वीकृत की जायेगी। उपरोक्त श्रेणी के आवेदक छात्र/छात्रा को नियमित रूप से सरकारी / गैरसरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। वर्ष 2018-19 हेतु इस योजना का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है -

क्र.सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
1.	शहीद /स्थायी विकलांग सैनिक के आश्रितों द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	01.09.2018	15.09.2018
2.	छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	01.09.2018	30.09.2018
3.	निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि(समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)/निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा/निदेशालय संस्कृत शिक्षा)	01.10.2018	10.10.2018

शहीद /स्थायी विकलांग सैनिक के आश्रित छात्र/छात्रा अपने जिले के संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से आवेदन पत्र पर प्रति हस्ताक्षर करवाकर अपने संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र का प्रपत्र-4 संलग्न है। आवेदन पत्र के निर्धारित कॉलमों की पूर्ति भलि-भाति करें। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

उक्त श्रेणी के छात्र/छात्रा को राज्य सरकार से अन्य छात्रवृत्ति का लाभ देय नहीं होगा अथवा अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को यह छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को समस्त प्राप्त आवेदन पत्रों की समेकित सूचना निर्धारित प्रपत्र में मय प्रमाण पत्र प्रेषित किये जावेंगे। आवेदन पत्र एवं अन्य पत्रादि निदेशालय को नहीं भिजवाये जाने हैं उन्हें अपने कार्यालय अभिलेख में संधारित रजिस्टर में इन्द्राज कर रिकार्ड में रखा जायेगा।

निर्धारित प्रपत्र (सत्र 2018-19)

क्र. सं.	छात्र-छात्रा एवं शहीद /स्थायी विकलांग सैनिक का नाम एवं पूरा पता	शहीद /सैनिक के स्थायी विकलांग होने की दिनांक	कक्षा	विद्यालय का नाम	प्रस्तावित राशि
1					
2					

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्रम संख्या.....से..... तक कुल (.....) के प्रकरणों की जांच व्यक्तिगत रूप से कर ली गयी है तथा सही पायी गयी है । समस्त आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है एवं समस्त आवेदन पत्रों को कार्यालय में संधारित रजिस्टर में इन्द्राज कर आवेदन पत्र रिकार्ड में रख लिया गया है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा अन्य कोई भी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा है। प्रति छात्र-छात्रा 1800/- रुपये छात्रवृत्ति स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है ।

दिनांक :

जिला शिक्षा अधिकारी
का पद नाम मय मोहर

नोट :-

संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को कार्यालय रिकार्ड में सुरक्षित रखा जावेगा तथा रजिस्टर में संधारित किया जावेगा। निदेशालय को सिर्फ निर्धारित प्रपत्र में मय प्रमाण पत्र सी.डी. सहित सूचना भिजवायी जावेगी। आवेदन पत्र नहीं भिजवाये जायेंगे।



(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/SC-ST/2018-19

दिनांक : 24-08-2018

प्रतिलिपि :- आवश्यक कार्यवाही एवं प्रचार-प्रसार हेतु -

1. उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1/ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
3. निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से भिजवायें।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
6. मुख्य लेखाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
7. उपनिदेशक (योजना), माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर ।
8. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक) शिक्षा विभाग ।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)/प्रारम्भिक शिक्षा ।
10. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि संलग्न विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करे।



प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

करगिल ऑपरेशन विजय अर्थात् 1.4.99 के पश्चात विभिन्न युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्ट्रों में शहीद सैनिकों / पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सदस्यों / युद्धों में स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृत्ति वर्ष 2018-19 हेतु

आवेदन-पत्र

(सत्र 2018-2019 की छात्रवृत्ति हेतु)

विद्यार्थी का
स्वप्रमाणित
फोटो

छात्रवृत्ति योजना का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है
विद्यार्थी के विद्यालय का नाम

विद्यार्थी का विवरण

- 1 विद्यार्थी का नाम :
- 2 जन्म तिथि (DD/MM/YYYY) :
- 3 धर्म (हिन्दु/मुस्लिम/सिख/ईसाई/पारसी/बौद्ध/जैन/अन्य) :
- 4 लिंग(पुरुष/महिला/ट्रांसजेण्डर) :
- 5 कक्षा जिसमें अध्ययनरत है :
- 6 विद्यार्थी का S.R.नम्बर(विद्यालय द्वारा भरा जावे) :
- 6 गत कक्षा में अध्ययनरत रहे विद्यालय का नाम व पता :
- 7 गत वर्ष की कक्षा एवं प्राप्तांक(कक्षा 01 से 08 तक ग्रेड-ए /बी/सी/डी/ई एवं कक्षा 09 से 12 तक प्रतिशत) कक्षा कुल पूर्णांक कुल प्राप्तांक ग्रेड/प्रतिशत :
- 8 जाति वर्ग(अजा/अजजा/अपिव/अपिव (विशेष समूह) / सामान्य/अल्पसंख्यक) :
- 9 डे-स्कॉलर/हॉस्टलर :
- 10 बैंक खाता संख्या :
- 11 बैंक शाखा का नाम :
- 12 बैंक का आई.एफ.एस.कोड(IFSC) :
- 12 बैंक का एम.आई.सी.आर.कोड(MICR) :
- 13 बैंक खाता आधार सीडेड है(हां/नहीं) :
- 14 विद्यार्थी का आधार नम्बर :
- 15 आधार का एनरोलमेन्ट नम्बर(यदि विद्यार्थी ने आधार के लिए आवेदन किया हो परन्तु उसे आधार नम्बर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हो) :
- 16 भामाशाह नम्बर :
- 17 छात्र का बैंक खाता भामाशाह नम्बर से सीडेड है(हां/नहीं) :
- 18 विद्यार्थी का मोबाईल नम्बर :
- 19 विद्यार्थी का ई-मेल आई.डी. :

विद्यार्थी के परिवार का विवरण

- 20 पिता का नाम :
- 21 माता का नाम :
- 22 परिवार की वार्षिक आय :
- 23 स्थाई पता/जिले का नाम/राज्य का नाम :

- 24 राशन कार्ड नम्बर :
- 25 क्या विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता प्राप्त कर रहा है(हां/ नहीं) :
- 26 यदि हां तो विवरण दें :

नोट :- 1.विद्यार्थी संस्था प्रधान के निर्देशानुसार समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रति इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर स्वयं के विद्यालय में अंतिम दिनांक से पूर्व प्रस्तुत करेगा।
 2.विद्यार्थी का विद्यालय अभिलेख, शालादर्पण, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं बैंक खाते में नाम समान होना अनिवार्य एवं बैंक खाता आधार नम्बर,भामाशाह नम्बर से सीडेड होना अनिवार्य है।
 3.वर्तमान कक्षा में अनुतीर्ण होने के फलस्वरूप दूसरी बार अध्ययन कर रहे छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति पाने के लिए अपात्र होंगे।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान

हस्ताक्षर कक्षाध्यापक

हस्ताक्षर विद्यार्थी

प्रपत्र-4 "क"

(पोस्ट-करगिल (1.4.99 के पश्चात)युद्धों तथा अन्य विभिन्न इन्सरेन्सीज काउंटर्स में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों हेतु छात्रवृत्ति आवेदन पत्र)

1. शहीद /स्थायी विकलांग सैनिक का नाम
2. शहीद /स्थायी विकलांग होने की तारीख
3. रैंक/यूनिट नम्बर
4. शहीद /स्थायी विकलांग होने का प्रमाण पत्र संलग्न करे।
5. उत्तराधिकारी (फौज के अभिलेख अनुसार) प्रतिलिपि संलग्न करें। उत्तराधिकारी के निवास स्थान का पूर्ण पता भी लिखा जावे।
6. शिक्षार्थी का नाम व शहीद के साथ संबंध (आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे)
7. कक्षा जिसमें अध्ययनरत है
8. विद्यालय का नाम व पूर्ण पता

प्रति हस्ताक्षर
(जिला सैनिक कल्याण अधिकारी)

हस्ताक्षर विद्यार्थी

हस्ताक्षर अभिभावक

मूल प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक)..... को प्रस्तुत कर निवेदन है कि छात्र/छात्रा इस विद्यालय /संस्था की कक्षा में शैक्षणिक वर्ष (.....) अन्तर्गत अध्ययनरत है।

दिनांक :

हस्ताक्षर संस्था प्रधान मय सील

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी.....

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र जांच उपरान्त सही पाया गया है तथा इसका इन्द्राज संबंधित रजिस्टर में कर आवेदन पत्र रिकार्ड पर रख लिया गया है। संबंधित छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति हेतु नियमानुसार पात्र है।

दिनांक :

हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक/प्रारम्भिक) मय सील

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/SC-ST/2018-19

दिनांक : 24-08-2018

विस्तृत दिशानिर्देश

प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत छात्रा के रूप में प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत सत्र 2018-19 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। जो छात्राएं 10वीं अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण हो, वे ही आवेदन की पात्र होंगी।

शेष शर्तें इस प्रकार हैं -

1. आवेदन पत्र के साथ छात्राएं भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र /परिचय पत्र आदि विभाग को पृष्टि हेतु संलग्न करेंगी।

क्र.सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
1.	आवेदन पत्र जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाकर विद्यालय/संस्था को जमा कराने की दिनांक	01.09.2018	15.09.2018
2.	छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	01.09.2018	30.09.2018
3.	निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि(समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)/निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा/निदेशालय संस्कृत शिक्षा)	01.10.2018	10.10.2018

निर्धारित प्रपत्र (सत्र 2018-19)

क्र.सं.	छात्रा/पिता का नाम मय पूरा पता	कक्षा	विद्यालय का नाम	प्रस्तावित राशि
1				
2				
3				

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्रम संख्या.....से..... तक कुल (संख्या अंकित करें) के प्रकरणों की जांच व्यक्तिगत रूप से कर ली गयी है तथा सही पायी गयी है। समस्त आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है एवं समस्त आवेदन पत्रों को कार्यालय में संधारित रजिस्टर में इन्द्राज कर आवेदन पत्र रिकार्ड में रख लिया गया है। प्रति छात्रा 1000/-रूपये छात्रवृत्ति स्वीकृत करने की अभिशंषा की जाती है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा अन्य कोई भी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रही है।

जिला शिक्षा अधिकारी
का पद नाम मय मोहर

- राज्य के राजकीय, गैर राजकीय मान्यता प्राप्त, केन्द्रीय संगठन बोर्ड से संबंधित सभी उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षा 11 व 12 में नियमित पढ़ रही छात्राएँ ही पात्र होंगी।
- इस छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने वाली छात्रा अन्य किसी छात्रवृत्ति प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी।
- यह छात्रवृत्ति कक्षा 11 की 250 छात्राओं तथा कक्षा 12 की 250 छात्राओं को दिये जाने का प्रावधान है परन्तु अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में मैरिट के आधार पर स्वीकृति की जावेगी।
- यह छात्रवृत्ति 2 वर्ष के लिए देय होगी। कक्षा 11 में अनुत्तीर्ण होने पर दुबारा कक्षा 11 में अध्ययनरत रहते छात्रवृत्ति देय नहीं होगी परन्तु कक्षा 11 उत्तीर्ण होने पर यह कक्षा 12 में अध्ययनरत रहते प्राप्त कर सकेगी।

5. जो छात्राएं अध्ययन वर्ष के बीच शालाएं छोड़कर जाती हैं उनकी छात्रवृत्ति राशि अनुपरिस्थिति समय की कटौती कर भुगतान की जावेगी।
6. छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु भी आवेदन पूर्व वर्ष की भांति सभी प्रक्रियाओं की पूर्ति सहित करना होगा।
7. छात्राएं आवेदन पत्र में अपना स्थायी निवास का पता पूर्ण रूप से लिखें ताकि उनका भुगतान यदि बकाया रहा तो शाला छोड़ने पर भी उन्हें भेजा जा सके।

संलग्न : आवेदन पत्र का प्रारूप

नोट :- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को कार्यालय रिकार्ड में सुरक्षित रखा जावेगा तथा रजिस्टर में संधारित किया जावेगा। निदेशालय को सिर्फ निर्धारित प्रपत्र में मय प्रमाण पत्र सी. डी. सहित सूचना भिजवायी जावेगी। आवेदन पत्र नहीं भिजवाये जायेंगे।



(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/SC-ST/2018-19

दिनांक : 24-08-2018

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है-

1. निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. उपनिदेशक (माध्यमिक) समस्त ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) समस्त ।
4. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि संलग्न विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करे।
5. समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ।
6. रक्षित पत्रावली ।



प्रभारी अधिकारी

छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

बीकानेर

भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत छात्रा के रूप में प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत सत्र 2018-19 हेतु
आवेदन-पत्र
 (सत्र 2018-2019 की छात्रवृत्ति हेतु)

विद्यार्थी का
 स्वप्रमाणित
 फोटा

छात्रवृत्ति योजना का नाम जिसके
 लिए आवेदन किया जा रहा है
 विद्यार्थी के विद्यालय का नाम

विद्यार्थी का विवरण

- 1 विद्यार्थी का नाम :
- 2 जन्म तिथि (DD/MM/YYYY) :
- 3 धर्म (हिन्दु/मुस्लिम/सिख/ईसाई/पारसी/
 बौद्ध/जैन/अन्य) :
- 4 लिंग(पुरुष/महिला/ट्रांसजेण्डर) :
- 5 कक्षा जिसमें अध्ययनरत है :
- 6 विद्यार्थी का S.R.नम्बर(विद्यालय द्वारा भरा जावे) :
- 7 गत कक्षा में अध्ययनरत रहे विद्यालय का नाम व पता :
- 8 गत वर्ष की कक्षा एवं प्राप्तांक(कक्षा 10की अंकतालिका
 संलग्न करें) : कक्षा कुल पूर्णांक कुल प्राप्तांक ग्रेड/प्रतिशत
- 9 नवीनीकरण है तो कक्षा 10 एवं 11 की अंकतालिका संलग्न
 करें व कक्षा 11 का विवरण दें। : कक्षा कुल पूर्णांक कुल प्राप्तांक ग्रेड/प्रतिशत
- 10 जाति वर्ग(अजा/अजजा/अपिव/अपिव (विशेष समूह) /
 सामान्य/अल्पसंख्यक) :
- 11 डे-स्कॉलर/हॉस्टलर :
- 12 बैंक खाता संख्या :
- 13 बैंक शाखा का नाम :
- 14 बैंक का आई.एफ.एस.कोड(IFSC) :
- 15 बैंक का एम.आई.सी.आर.कोड(MICR) :
- 16 बैंक खाता आधार सीडेड है(हां/नहीं) :
- 17 विद्यार्थी का आधार नम्बर :
- 18 आधार का एनरोलमेन्ट नम्बर(यदि विद्यार्थी ने आधार के
 लिए आवेदन किया हो परन्तु उसे आधार नम्बर अभी तक
 प्राप्त नहीं हुआ हो) :
- 19 भामाशाह नम्बर :
- 20 छात्र का बैंक खाता भामाशाह नम्बर से सीडेड है(हां/नहीं) :
- 21 विद्यार्थी का मोबाईल नम्बर :
- 22 विद्यार्थी का ई-मेल आई.डी. :

विद्यार्थी के परिवार का विवरण

- 23 पिता का नाम :
- 24 माता का नाम :
- 25 परिवार की वार्षिक आय :

- 26 पिता का पूरा विवरण : पद..... संख्या.....
- 27 क्या पिता जीवित है ? : (हां/नहीं)
- 28 स्थाई पता/जिले का नाम/राज्य का नाम :
- 29 राशन कार्ड नम्बर :
- 30 क्या विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता प्राप्त कर रहा है(हां/ नहीं) :
- 31 यदि हां तो विवरण दें :

नोट :- 1.विद्यार्थी संस्था प्रधान के निर्देशानुसार समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रति इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर स्वयं के विद्यालय में अंतिम दिनांक से पूर्व प्रस्तुत करेगा।
 2.विद्यार्थी का विद्यालय अभिलेख,शालादर्पण, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं बैंक खाते में नाम समान होना अनिवार्य एवं बैंक खाता आधार नम्बर,भामाशाह नम्बर से सीडेड होना अनिवार्य है।
 3.वर्तमान कक्षा में अनुत्तीर्ण होने के फलस्वरूप दूसरी बार अध्ययन कर रहे छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति पाने के लिए अपात्र होंगे।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान

हस्ताक्षर कक्षाध्यापक

हस्ताक्षर विद्यार्थी

प्रमाण पत्र

कु.पुत्री श्री.....रैन्क..... इस विद्यालय की कक्षा..... की छात्रा है, छात्रा ने सैकण्डरी परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत.....अंक प्राप्त किये है।

(अंक तालिका की प्रति संलग्न है, नवीनीकरण है जो कक्षा 10 व 11 की प्रति संलग्न करें)

दिनांक

हस्ताक्षर संस्था प्रधान
मय मोहर

प्रमाण पत्र

क्रमांक : दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....पद..... संख्या.....भूतपूर्व सैनिक तथा इनकी पुत्री नाम..... कक्षा..... में अध्ययनरत है राजस्थान स्थित ग्राम.....तहसील..... जिला..... के मूल निवासी है।

दिनांक :

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी
हस्ताक्षर मय मोहर